<u>रजिस्टर्ड डाक द्वारा</u>

संख्याः 29/2020/1296 प्रो०/51-2020-14(09)/2019

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

<u>मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग)</u> लखनऊः दिनांक 27 जुलाई, 2020

विषयः <u>जनपद कानपुर नगर में राज्य अतिथियों के सेवा सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-43/वी०आई०पी०-प्रो०अनु०-2019, दिनांक 09 जुलाई, 2020 एवं संख्या-44/वी०आई०पी०-प्रो०अनु०-2020, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्न देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 90,332=00 (रूपये नब्बे हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रम सं०	**मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि /वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक**	**<u>धनराशि</u>**
1-	साध्वी निरंजन ज्योति, मा० केन्द्रीय मंत्री, ग्राम्य विकास, भारत सरकार। दिनांक 14-03-2020 से 16-03-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०- 9006, देयक संख्याः के०पी०आर० 1501, दिनांक 17-03-2020	रू० 53,232=00
2-	श्री राम नाथ कोविन्द, तत्कालीन महामहिम राज्यपाल, बिहार। (वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति) दिनांक 24-03-2017 से 27-03-2017, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जी०एन०- 1706, देयक संख्याः सी०एस०/सी०/टी०/1228, दिनांक 28-03-2017	रू० 37,100=00
	(रूपये नब्बे हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) कुल योग	रू० 90,332=00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

३- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः 02 देयक मूलरूप में

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

संख्याः 29/2020/1296 (1) प्रो०/51-2020-14(09)/2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, कानपुर नगर।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, कानपुर नगर/लखनऊ।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।